

VTL/OFC/FRST/BHR/WO/20/18

07.2020

DATE- 28/3/2020

प्रेषक,
विन्ध्या टेलीलिंक लिमिटेड
पटना, बिहार
सेवा में,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
मह नोडल पश्चाधिकारी (वनसंरक्षण)
बिहार, पटना

विषय: जमुई जिला अंतर्गत विन्ध्याटेलीलिंक लिमिटेड द्वारा सोनो, सिकन्दरा, चकाई, अलीगंज, खैरा एवं जमुई प्रखंड के पथ के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 0.928803 हे० वन भूमि का विन्ध्या टेलीलिंक लिमिटेड बिहार, पटना के पक्ष में अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति ।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 128 दिनांक -28/02/2020 के आलोक में प्राप्त सैद्धान्तिक अंतिम स्वीकृति का कण्डिकाकार शर्त का अनुपालन निम्न है

क्रम सं	शर्त	अनुपालन
I.	अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा ।	हाँ
II.	यद्यपि परियोजना निर्माण में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं होना है परन्तु हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों का रैखिक वृक्षारोपण परियोजना खर्च पर किया जायेगा । इस निर्मित परियोजना एजेंसी सं०-7,16,466/- मात्र को पर्यावरण एवं वन विभाग को उपलब्ध करायेगी ।	28-02-2020 को जमा किया गया (रसीद संलग्न)
III.	क्षतिपूरक बानीकरण मद की कुल राशी 7,16,466/- (रूपये सात लाख सौलह हजार चार सौ छियासठ) मात्र को मंत्रालय के वेबसाइट parivesh.nic.in में e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online mode द्वारा फंड ट्रान्सफर कर राशी जमा कराया जायेगा ।	28-02-2020 को जमा किया गया (रसीद संलग्न)
IV.	उक्त जमा की गई राशी को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा । साथ ही साथ जमा की गई राशी की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाये ।	28-02-2020 को जमा किया गया (रसीद संलग्न)
V.	वर्तमान में इस परियोजना में NPV मद की राशी जमा करने से परियोजना एजेंसी को छुट प्रदान की गई है परन्तु माननीय न्यालय के द्वारा संसोधन या NPV के दर में वृद्धि होने पर राशी जमा करने के संबंध में परियोजना एजेंसी को बचनबद्धता देनी होगी वही उनके द्वारा अतिरिक्त/अंतर की राशी जमा की जाएगी	मान्य है ।
VI.	परियोजना एजेंसी द्वारा परियोजना निर्माण के क्रम में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा	मान्य है ।
VII.	वन भूमि का उपयोग मिट्टी कटाई अथवा किसी भी निर्माण सामग्री निकलने के लिए नहीं किया जायेगा और न ही अपरिशिष्ट निर्माण सामग्री को वन भूमि पर फेंका जायेगा ।	मान्य है
VIII.	वन क्षेत्र के अन्दर निर्माण सामग्री के दुलाई के लिए अतिरिक्त अथवा नए पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा ।	मान्य है

IX.	वन क्षेत्र के भीतर मजदूरों का निवास स्थान (LABOUR CAMP) नहीं बनाया जायेगा।	हाँ सुनिश्चित करूंगा।
X.	वन क्षेत्र के बाहर निवास कर रहे परियोजना कार्य में शामिल मजदूरों को इंधन आपूर्ति का दायित्व परियोक्ता एजेंसी का होगा परियोक्ता एजेंसी के क्षेत्रीय निरीक्षक/स्थानीय वन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की वन एवं वन प्राणियों को परियोक्ता एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियोजित मजदूर/कार्य एजेंसी किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा रहे है।	मान्य है।
XI.	परियोजना निर्माण में उपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र Stage-II स्वकृति के पूर्व प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, जमुई द्वारा निर्गत FRA, 2006 प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही प्रयोक्ता एजेंसी को working permission निर्गत किया जायेगा।	मान्य है।
XII.	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।	अनुपालन करूंगा।
XIII.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उन सभी अन्य शर्तों का अनुपालन किया जायेगा जो समय-समय पर वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जायेंगे।	सभी शर्तें मान्य है।
XIV.	यदि इस विषय पर पर्यावरण सुरक्षा के हित में कोई अन्य शर्तें आवश्यक होगी तो कालांतर में इसे अधिरोपित किया जा सकेगा एवं परियोक्ता एजेंसी के लिए यह बाध्यकारी होगा।	मान्य है।
XV.	उपभोक्ता अभिकरण (इस मामले में विन्ध्या टेलिकॉम लिमिटेड, पटना) अपयोजित वन भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति प्राधिकार विभाग आदि को किसी भी प्रकार से आवंटन/हस्तांतरण/अभ्यर्षण (ASSIGNMENT) नहीं करेगी।	मान्य है।

अतः श्रीमान से आग्रह है की उपरोक्त शर्तें अनुपालन के आधार पर कर््यानुमति प्रदान करने की कृपा की जाये।

धन्यवाद।

भवदीय

 विन्ध्या टेलिलिंक्स लिमिटेड
 पटना, बिहार

17/02/2020

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 17-02-2020	
Agency Name:	M/S VINDHYA TELELINKS LIMITED
Application No.	19942540748
MoEF/SG File No.	FC/79/2019
Location.	BIHAR
Address.	EPC Division Flat No. 101 Yogendrara, Patna Bihar Patna
Amount(In Rs)	716466/-
Amount in Words : Seven Lakh Sixteen Thousand Four Hundred and Sixty-Six Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	1506219942540748 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
<ul style="list-style-type: none">This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS onlyThis challan is valid only for seven days.	

BANK COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 17-02-2020	
Agency Name.	M/S VINDHYA TELELINKS LIMITED
Application No.	19942540748
MoEF/SG File No.	FC/79/2019
Location.	BIHAR
Address:	EPC Division Flat No. 101 Yogendrara, Patna Bihar Patna
Amount(In Rs)	716466/-
Amount in Words : Seven Lakh Sixteen Thousand Four Hundred and Sixty-Six Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	1506219942540748 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003
<ul style="list-style-type: none">This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS onlyThis challan is valid only for seven days.	

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Print



Scanned with CamScanner